रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220971
CG-DL-E-08082020-220971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
No. 387]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 492(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण मोटर ड्राइवर (श्रेणी 1, श्रेणी 2 और सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में मोटर ड्राइवर (श्रेणी I, श्रेणी II और सामान्य श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, मोटर ड्राइवर (श्रेणी I, श्रेणी II और सामान्य श्रेणी), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं, आदि:- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. मोटर ड्राइवर (श्रेणी I)	8 (2019)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 ₹)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा

आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नति पाने वालों के मामलों में भी लागू होगी		या आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	किया जाएगा		आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100₹) में ऐसे मोटर ड्राइवर (श्रेणी II) जिन्होंने नियुक्ति के बाद उस स्तर में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो, या जिन्होंने मोटर ड्राइवर (श्रेणी II) और मोटर ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो, और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो । **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम ना हो और उन्होंने अगले उच्चतर स्तर में प्रोन्नति हेतू उनके कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:- (i) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता- अध्यक्ष; (ii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; (iii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. मोटर ड्राइवर (श्रेणी II).	8 (2019)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100₹)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	किया जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200₹) में ऐसे मोटर ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने नियुक्ति के बाद उस स्तर में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम ना हो और उन्होंने अगले उच्चतर स्तर में प्रोन्नति हेतू उनके कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:- (i) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता- अध्यक्ष; (ii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; (iii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. मोटर ड्राइवर (सामान्य श्रेणी).	7 (2019)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200₹)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच* (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेश या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण .-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	आवश्यक :- (i) जिनके पास मोटर यानों के लिए विधमान्य चालन अनुज्ञाप्त हो; (ii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान हो (अभ्यर्थि को यानों की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने का योग्य होना चाहिए); (iii) मोटर यान को चलाने के लिए कम से

					निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख)। *यदि सीधी भर्ती, सीधी खुली प्रतियोगिता द्वारा होना है तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच सीमित होगी।	कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और (iv) मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थान से दसवी कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय:- होम गार्ड/ नागरिक स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण:-** अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति /आमेलन न जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कर्मियों के लिए:- प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति /आमेलन:- भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900₹) में नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों जिनके पास मोटर यानों के चलाने के लिए सक्षमता का निर्धारण चालन परीक्षण के आधार पर मोटर यानों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों, विभागों या कार्यालय में ऐसे पदधारी जो नियमित आधार पर सवार हरकारा या	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:- (i) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता- अध्यक्ष; (ii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; (iii) कार्यालय का	लागू नहीं होता।

			वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900₹) के नियमित समूह 'ग' कर्मचारी का पद धारण किए हुए है और जो स्तंभ 7 में यथावर्णित आवश्यक अहर्ताए पूरी करते हों। सशस्त्र बल कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन:- सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिको पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताए हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाता है, तत्पश्चात् पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:-**प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य	

[फा.सं. 02/01/2019-सीएसजेड]

मंजू पान्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

G.S.R. 492(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India, Motor Driver (Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment

to the posts of Motor Driver (Grade-I, Grade-II and Ordinary Grade) in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Zoological Survey of India, Motor Driver (Grade-I, Grade-II and Ordinary Grade), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Motor Driver (Grade-I).	8 (2019)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-).	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

		percentage of vacancies to be filled by various methods	made		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion	**Promotion:-** Motor Driver (Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-) with six years' regular service in the grade or with a combined regular service of fifteen years' in Motor Driver Grade-II and Motor Driver (Ordinary Grade), and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:– 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata-Chairman; 2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata-Member; 3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata-Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Motor Driver	8 (2019)*	General Central	Level-4 in the pay	Non-selection	Not applicable	Not applicabl.

(Grade-II).	*Subject to variation dependent on workload.	Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	matrix (Rs. 25500-81100/-).			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion	**Promotion:-** Motor Driver (Ordinary Grade) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-) with nine years' regular service in the grade, and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: – 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata-Chairman; 2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata-Member; 3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata-Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Motor Driver (Ordinary Grade)	7 (2019)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-).	Not applicable	Between 18 and 25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)	**Essential:-** (i) Possessing a valid driving license for motor vehicles; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor

					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive examination, the age limit shall be between 18 and 27 years.	defects in vehicles); (iii) Experience of driving motor vehicles for at least three years; and (iv) Pass in 10th standard from a recognised Board. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed	Deputation / absorption failing which by direct recruitment. For Armed	**Deputation/absorption:-** From amongst the regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-) in the Zoological Survey of India who possess valid driving	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: –	Not applicable.

		Forces Personnel: Deputation / re-employment.	license for motor vehicles on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor vehicles failing which from officials holding the post of Dispatch Riders on a regular basis or regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-) in other Ministries, Departments or Offices of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation / re-employment for Armed Forces Personnel:- The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits in column (7) shall also be considered and such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation / absorption shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata- Chairman; 2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata- Member; 3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata- Member.	

[F. No.02/01/2019-CSZ]

MANJU PANDEY**,** Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.08 17:48:06 +05'30'